

## आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

शिक्षा हेतु प्रोत्साहन के लिये सहरिया जनजाति के कक्षा 6 से 12 वीं तक छात्र/छात्राओं को स्टेशनरी एवं पौशाक क्य हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना

### 1. योजना का उद्देश्य :-

सहरिया जनजाति के ऐसे परिवार जो पढाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं हैं तथा इस कारण अपने बच्चों को पढाते नहीं हैं ऐसे सहरिया छात्र/छात्राएँ जो घर से राजकीय विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं उनको राज्य सरकार के आदेशानुसार स्टेशनरी एवं पौशाक क्य हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिससे उनके परिवार में उनकी पढाई का खर्चा ना बढे एवं उनकी पढाई से परिवार पर कोई प्रभाव ना पढे।

### 2. नाम एवं योजना क्षेत्र :- बारां जिले में निवासरत सहरिया जनजाति

3. परिभाषाएँ :-ऐसी सहरिया आदिम जनजाति के छात्र/छात्राएँ जो कक्षा 6से 12 वीं में नियमित रूप से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हो। जिने छात्रावास में निवास करने हेतु स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता हो।

4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) :-बारां जिले के सहरिया छात्र/छात्राएँ को कक्षा 6 से 12वीं तक 1500 रु प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष दिये जाते है।

### 5. पात्रता :-छात्र- छात्रा द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगा :-

- छात्र-छात्रा राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिये।
- छात्र-छात्रा राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना चाहिये।
- छात्र-छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता न हो।
- जो छात्र-छात्रा सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है। उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
- वैद्य भामाशाह कार्ड एवं आधार होना चाहिये।
- छात्र-छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होना चाहिये।

### 6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज :-


- छात्र-छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा-पत्र समक्ष स्तर से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा का नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र सम्बन्धित राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से प्रमाणित हो।

## 7. आवेदन प्रक्रिया :-

- जनजाति सहरिया छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑन-लाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑन-लाईन भरे जा सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) पर देखे जा सकते हैं।
- छात्र/छात्रा वर्तमान में जिस विद्यालय में अध्ययनरत है। उस विद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं से प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन पत्रों की गहन जाँचकर प्राप्त आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के सहरिया विकास परियोजना अधिकारी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑन-लाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) सम्बन्धित छात्र/छात्रा के विद्यालय को प्रति प्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

## 8. भुगतान प्रक्रिया :-

- स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों को सहरिया विकास परियोजना द्वारा जाँच उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा छात्र/छात्राओं के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाएगी।

  
अति.आयुक्त

## आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

### सहरिया जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता (कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं)


1. योजना का उद्देश्य :- बारां जिले की सहरिया जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु प्रेरित कर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
2. नाम एवं योजना का क्षेत्र :- बारां जिले में निवासरत सहरिया जनजाति
3. परिभाषाएँ :- सहरिया जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। जो उच्च माध्यमिक कक्षाओं (11वीं एवं 12वीं) में नियमित रूप से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है तथा जिन्हें राजकीय छात्रावास में निवास हेतु स्थान उपलब्ध नहीं हुआ हो।
4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) :- योजना के अन्तर्गत छात्रा को प्रतिमाह 350 रु के हिसाब से कुल 10 माह हेतु कुल राशि रूपयें 3500/- का भुगतान किया जायेगा।
5. पात्रता :- छात्रा द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगा :-
  - छात्रा राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिये।
  - छात्रा राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना चाहिये।
  - छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता न हो।
  - जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है। उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
  - वैद्य भामाशाह कार्ड एवं आधार होना चाहिये।
  - छात्र-छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होना चाहियें।
6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज :-
  - छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नहीं होने बाबत निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा-पत्र समक्ष स्तर से प्रमाणित हो।
  - छात्रा का नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र सम्बन्धित राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से प्रमाणित हो।
  - छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति

## 7. आवेदन प्रक्रिया :-

- जनजाति सहरिया छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑन-लाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑन-लाईन भरे जा सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) पर देखे जा सकते हैं।
- छात्रा वर्तमान में जिस संस्थान में अध्ययनरत हो उस संस्थान द्वारा छात्राओं से प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन पत्रों को विभागीय गार्डलाईन अनुसार जांच कर आवेदन पत्र को स्वीकृतकर्ता अधिकारी (परियोजना अधिकारी सहरिया विकास परियोजना शाहबाद) को भिजवाया जाएगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑन-लाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं / विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

## 8. भुगतान प्रक्रिया :-

- स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय द्वारा जॉच उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा विद्यार्थियों / विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी।

  
श्री . आयुक्त

## आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

### प्रतिभावान सहरिया छात्रों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति (बोर्ड परीक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर)


1. योजना का उद्देश्य :-सहरिया जनजाति के छात्रों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहित करना जिससे छात्र का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाना एवं बोर्ड कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।
2. नाम एवं योजना क्षेत्र :- बारां जिले में निवासरत सहरिया जनजाति
3. परिभाषाएँ :-उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन के लिये सहरिया जनजाति के छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। जो उच्च माध्यमिक कक्षाओं (10वीं एवं 12वीं) में नियमित रूप से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हो तथा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो।
4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) :-प्रति छात्रों को 6000/- रु इस प्रकार कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर किसी एक वर्ष में कुल राशि रूपयें 6000/- रु प्रोत्साहन राशि के रूप में देना।
5. पात्रता :- छात्रों द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगा :-
  - छात्र राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिये।
  - छात्र राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना चाहिये।
  - छात्र के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता न हो।
  - जो छात्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
  - वैद्य भामाशाह कार्ड एवं आधार होना चाहिये।
  - छात्र राजस्थान की मूल निवासी होना चाहियें।
6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज :-
  - छात्र के माता/पिता/अभिभावक/ संरक्षक का आयकरदाता नहीं होने बाबत निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा-पत्र समक्ष स्तर से प्रमाणित हो।
  - छात्र का नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र सम्बन्धित राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से प्रमाणित हो।
  - छात्र की बोर्ड परीक्षा की अंक तालिका की प्रति

## 7. आवेदन प्रक्रिया :-

- सहरिया जनजाति छात्र द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑन-लाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑन-लाईन भरे जा सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) पर देखे जा सकते हैं।
- छात्र वर्तमान में जिस विद्यालय में अध्ययनरत है। उस विद्यालय द्वारा प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन पत्रों को गार्डलाईन अनुसार जाँचकर प्राप्त आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक/ को भिजवाया जाएगा तत्पश्चात स्वीकृतकर्ता अधिकारी सहरिया विकास परियोजना अधिकारी को भिजवाया जायेगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑन-लाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं /विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

## 8. भुगतान प्रक्रिया :-

- स्वीकृत शुदा समस्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय द्वारा जाँच उपरान्त ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी।

  
अति. आयुक्त

## आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

### सहरिया जनजाति के छात्र/छात्राएँ को कक्षा में 90 प्रतिशत उपस्थित रहने पर उपस्थिति प्रोत्साहन राशि का वितरण

#### 1. योजना का उद्देश्य :-

सहरिया छात्र/छात्राओं को नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारम्भ किया गया है ताकि सहरिया छात्र/छात्राएँ विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन कर शैक्षिक दृष्टि से अन्य के समकक्ष आ सकें।

#### 2. नाम एवं योजना क्षेत्र :- बारां जिले में निवासरत सहरिया जनजाति

#### 3. परिभाषाएँ :-

सहरिया जनजाति के छात्र/छात्राएँ जो विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन हेतु नहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे शैक्षिक रूप से अन्य छात्रों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। ऐसी सहरिया आदिम जनजाति के छात्र/छात्राएँ को कक्षा में अधिक उपस्थित रहने पर प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाता है। कक्षा 6 से 12 वीं तक के गैर छात्रावासी छात्र/छात्राएँ जिने छात्रावास में निवास करने हेतु स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता हो तथा राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत हों।

#### 4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) :- बारां जिले के सहरिया छात्र/छात्राएँ को कक्षा 6 से 12वीं में गत वर्ष कक्षा में 90 प्रतिशत उपस्थित रहे हो उनको निम्नानुसार कक्षा वार प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

कक्षा :- 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11 वीं 12वीं

राशि :- 70रू 70रू 80रू 90रू 90रू 100रू 100रू प्रतिमाह (10 माह तक) एकमुश्त

#### 5. पात्रता :- छात्र- छात्रा द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगा :-

- छात्र-छात्रा राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिये।
- छात्र-छात्रा राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना चाहिये।
- छात्र-छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता न हो।
- जो छात्र-छात्रा सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
- वैद्य भामाशाह कार्ड एवं आधार होना चाहिये।
- छात्र-छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होना चाहियें।

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज :-


- छात्र-छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नही होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा-पत्र समक्ष स्तर से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा का नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र सम्बन्धित राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा की कक्षा में 90 प्रतिशत उपस्थित रहने का प्रमाण पत्र (महिने वार गत वर्ष का) (विद्यार्थी जिस विद्यालय में गत वर्ष अध्ययनरत था उस विद्यालय से पिछले वर्ष की महिने वार उपस्थिति का प्रतिशत, प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा)

7. आवेदन प्रक्रिया :-

- बारां जिले के राजकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा सहरिया छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र भामाशाह कार्ड के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑन-लाईन भरकर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑन-लाईन भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) पर देखे जा सकते है।
- सहरिया छात्र/छात्रा वर्तमान में जिस विद्यालय में अध्ययनरत है। उस विद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं के ऑन-लाईन आवेदन पत्रों को सम्बन्धित जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाएगा। जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जिले के सहरिया विकास परियोजना अधिकारी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑन-लाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति प्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

8. भुगतान प्रक्रिया :-

- स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों को सहरिया विकास परियोजना द्वारा जॉच उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा छात्र/छात्राओं के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाएगी।

  
अति. आयुक्त



## आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

### सहरिया जनजाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता

1. योजना का उद्देश्य :-सहरिया जनजाति के लोग उच्च शिक्षाओं में अपने बच्चों को इस लिये अध्ययन नहीं कराते है क्योकि उच्च कक्षाओं की फीस व स्टेशनरी अधिक व मंहगी होती है तथा अपने गांव से बाहर भेजने पर शहरी मकान किराया वहन नहीं कर पाते है इस लिये विभाग द्वारा इस योजना के माध्यम से महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत प्रत्येक छात्र को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं।
2. नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :- बारां जिले में निवासरत सहरिया जनजाति
3. परिभाषाएँ :-कॉलेज कक्षाओं की फीस व स्टेशनरी अधिक व मंहगी होती है तथा अपने गांव से बाहर भेजने पर शहरी मकान किराया वहन नहीं कर पाते है इस लिये विभाग द्वारा इस योजना के माध्यम से महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत सहरिया छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) :-सहरिया छात्र/छात्रा को स्टेशनरी क्य हेतु 1000/- रु, कॉलेज फीस हेतु 2000/-रु एवं मासिक व्यय अनुदान, मकान किराया, भोजन आदि हेतु 17000/- कुल 20000/- दिये जाते है। उक्त राशि प्रतिवर्ष कॉलेज में प्रवेश देते ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। महाविद्यालयों में बीए/एमए प्रथम वर्ष 20000/-रु द्वितीय वर्ष 20000/- रु एवं तृतीय वर्ष 20000/-रु प्रतिछात्र/छात्रा प्रदान किये जाते है।
5. पात्रता :- छात्र- छात्रा द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगा :-
  - छात्र-छात्रा राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिये।
  - छात्र-छात्रा राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत होना चाहिये।
  - छात्र-छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता न हो।
  - जो छात्र-छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है। उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
  - वैद्य भामाशाह कार्ड एवं आधार होना चाहिये।
  - छात्र-छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होना चाहियें।

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज :-


- छात्र-छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नहीं होने बाबत निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा-पत्र समक्ष स्तर से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा का नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति

7. आवेदन प्रक्रिया :-

- जनजाति सहरिया छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑन-लाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑन-लाईन भरे जा सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) पर देखे जा सकते हैं।
- छात्र/छात्रा वर्तमान में जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है। उस महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं से प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन पत्रों को विभागीय गार्डलाईन अनुसार जाँचकर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी (परियोजना अधिकारी सहरिया विकास परियोजना शाहबाद) को भिजवाया जाएगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑन-लाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

8. भुगतान प्रक्रिया :-

- स्वीकृत शुदा समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय परियोजना अधिकारी सहरिया विकास परियोजना शाहबाद द्वारा जाँच उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी।

  
अति. आयुक्त

## आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

सहरिया क्षेत्र के सहरिया छात्र/छात्राओं को बीएसटीसी प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कराना

1. योजना का उद्देश्य :-योजना का मूल उद्देश्य हैं सहरिया क्षेत्र के जनजाति छात्र/छात्राएँ राजकीय सेवा में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी रख सके इसके लिये इन छात्र/छात्राओं को छात्रावास शुल्क, छात्रवृत्ति (स्टाईफण्ड) शिक्षण शुल्क एवं स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान रखा गया हैं। योजना का लाभ 2 वर्ष तक के लिये ही देय होगा।

2. नाम एवं योजना क्षेत्र :- बारां जिले में निवासरत सहरिया जनजाति

3. परिभाषाएँ :-जनजाति सहरिया छात्र/छात्राओं को राजकीय सेवा में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी रख सके इसके लिये इन छात्र/छात्रों को छात्रावास शुल्क, छात्रवृत्ति (स्टाईफण्ड) शिक्षण शुल्क एवं स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे की वह राजकीय सेवा में अपनी भागीदारी रख सकें।

4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) :-संस्थान में नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सहरिया प्रशिक्षणार्थी निम्नानुसार आर्थिक सहायता राशि हस्तान्तरित की जाती है।

प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
प्रशिक्षण शुल्क, फीस :- 13500/-	2500/-
मकान किराया भोजन :- 9000/-	10000/-
स्टेशनरी राशि :- 2500/-	2500/-
योग :- 25000/-रु.	15000/-

5. पात्रता :- छात्र- छात्रा द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगा :-

- छात्र-छात्रा राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिये।
- छात्र-छात्रा राजकीय/गैर राजकीय बीएसटीसी प्रशिक्षण संस्थान में नियमित प्रशिक्षणार्थी होना चाहिये।
- छात्र-छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता न हो।
- जो छात्र-छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
- वैद्य भामाशाह कार्ड एवं आधार होना चाहिये।
- छात्र-छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होना चाहियें।

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज :-


- छात्र-छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नही होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा-पत्र समक्ष स्तर से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा का नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र सम्बन्धित राजकीय/गैर राजकीय बीएसटीसी प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति

7. आवेदन प्रक्रिया :-

- जनजाति सहरिया छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑन-लाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑन-लाईन भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) पर देखे जा सकते है।
- छात्र/छात्रा जिस प्रशिक्षण संस्थान में बी.एड. हेतु अध्ययनरत है। उस संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं से प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन पत्रों को गार्डलाइन अनुसार जाँचकर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी (परियोजना अधिकारी सहरिया विकास परियोजना शाहबाद) को भिजवाया जाएगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑन-लाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओ को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

8. भुगतान प्रक्रिया :-

- स्वीकृत शुदा समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय परियोजना अधिकारी सहरिया विकास परियोजना शाहबाद द्वारा जाँच उपरान्त सम्बन्धित जिले की ट्रेजरी से विद्यार्थियों के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी।

  
शक्ति. आयुक्त

## आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

### सहरिया छात्र/छात्राओं को बी.एड प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता

1. योजना का उद्देश्य :- योजना का मूल उद्देश्य है सहरिया क्षेत्र के जनजाति छात्र/छात्रा राजकीय सेवा में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी रख सके इसके लिये इन छात्र/छात्राओं को छात्रावास शुल्क, छात्रवृत्ति (स्टाईफण्ड) शिक्षण शुल्क एवं स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।
2. नाम एवं योजना क्षेत्र :- बारां जिले में निवासरत सहरिया जनजाति
3. परिभाषाएँ :-जनजाति सहरिया छात्र/छात्राओं को राजकीय सेवा में अपनी भागीदारी रख सके इसके लिये इन छात्र/छात्रों को छात्रावास शुल्क, छात्रवृत्ति (स्टाईफण्ड) शिक्षण शुल्क एवं स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे की वह राजकीय सेवा में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी रख सकें।
4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) :-योजना के अन्तर्गत सहरिया बी.एड प्रशिक्षणार्थी को कॉलेज फीस व पुस्तकें क्य हेतु 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष - 30000 रु. एवं द्वितीय वर्ष -30000 रु. तथा कक्षा 12 वीं के पश्चात् 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष - 15000 रु., द्वितीय वर्ष - 15000रु., तृतीय वर्ष - 15000रु. एवं चतुर्थ वर्ष - 15000रु.
5. पात्रता :- छात्र- छात्रा द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगा :-
  - छात्र-छात्रा राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिये।
  - छात्र-छात्रा राजकीय/गैर राजकीय बीएड प्रशिक्षण संस्थान् में नियमित प्रशिक्षणार्थी होना चाहिये।
  - छात्र-छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता न हो।
  - जो छात्र-छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है। उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
  - वैद्य भामाशाह कार्ड एवं आधार होना चाहिये।
  - छात्र-छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होना चाहियें।

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज :-


- छात्र-छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नही होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा-पत्र समक्ष स्तर से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा का नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र सम्बन्धित राजकीय/गैर राजकीय बीएडप्रशिक्षण संस्थान् के प्राचार्य से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति

7. आवेदन प्रक्रिया :-

- जनजाति सहरिया छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑन-लाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑन-लाईन भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) पर देखे जा सकते है।
- छात्र/छात्रा जिस प्रशिक्षण संस्थान् में बी.एड. हेतु अध्ययनरत है। उस संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं से प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन पत्रों को गार्डिलाइन अनुसार जाँचकर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी (परियोजना अधिकारी सहरिया विकास परियोजना शाहबाद) को भिजवाया जाएगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑन-लाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओ को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

8. भुगतान प्रक्रिया :-

- स्वीकृत शुदा समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालयपरियोजना अधिकारी सहरिया विकास परियोजना शाहबाद द्वारा जाँच उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी।

  
अति. आयुक्त

## आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

### जनजाति (सहरिया) छात्राओं को आर्थिक सहायता (नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु)


1. योजना का उद्देश्य :- बारां जिले की सहरिया जनजाति की छात्राएं जो नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं उनको प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
2. नाम एवं योजना क्षेत्र :- बारां जिले में निवासरत सहरिया जनजाति
3. परिभाषाएँ :- बारां जिले के सहरिया ए.एन.एम प्रशिक्षार्थी महिलाओं रहने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना
4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) :- बारां जिले के सहरिया ए.एन.एम प्रशिक्षार्थी महिलाओं प्रतिवर्ष 9 माह तक 1000/- रु दिया जाता है। दो वर्ष के प्रशिक्षण पर दुसरे वर्ष भी 9 माह तक 1000/-रु प्रति माह कुल 9000/-रु दिये जाते है।  
राशि रूपये :-9000/- प्रथम वर्ष एवं 9000/- रु द्वितीय वर्ष के लिए
5. पात्रता :- छात्रा द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगा :-
  - छात्रा राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिये।
  - छात्रा राजकीय बीएसटीसी प्रशिक्षण संस्थान में नियमित प्रशिक्षार्थी होना चाहिये।
  - छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता न हो।
  - जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है। उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नही होगा।
  - वैद्य भामाशाह कार्ड एवं आधार होना चाहिये।
  - छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होना चाहियें।
6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज :-
  - छात्रा के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नही होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा-पत्र समक्ष स्तर से प्रमाणित हो।
  - छात्रा का नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित राजकीय/गैर राजकीय ए. एन.एम. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य से प्रमाणित हो।
  - छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति।
  - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां से नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र।

## 7. आवेदन प्रक्रिया :-

- जनजाति सहरिया छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑन-लाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑन-लाईन भरे जा सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट [www.tad.rajasthan.gov.in](http://www.tad.rajasthan.gov.in) पर देखे जा सकते हैं।
- छात्रा वर्तमान में जिस प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हो उस संस्थान के संस्था प्रभारी द्वारा छात्राओं से प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन पत्रों का गहन जाँचकर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) को भिजवाया जाएगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों का उपस्थिति के आधार पर प्रतिमाह ऑन-लाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा। अन्यथा उसको सहरिया विकास परियोजना अधिकारी के समक्ष फारवर्ड करें।

## 8. भुगतान प्रक्रिया :-

- स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों को सहरिया विकास परियोजना द्वारा जाँच उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा प्रशिक्षणार्थी के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाएगी।

  
अति. आयुक्त